न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **287/2023** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हीराराम पुत्र अणदाराम जाति जाट, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2 निम्बाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट, निवासी निम्बासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3 हराराम पुत्र फुसाराम जाति जाट, निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर हाल निवासी निम्बासर, तहसील शिव 4 कमलादेवी पत्नी चिमाराम 5 सुशीयादेवी पत्नी गणेशाराम जाति कुम्हार, निवासी भगवानोणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6 राणाराम पुत्र भोजाराम जाति कुमावत, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7 गोमाराम पुत्र नथाराम 8 मानाराम पुत्र नथाराम जाति कुम्हार, निवासी ईश्वरपुरा भादरेश तहसील बाड़मे ग्रामीण, जिला बाड़मेर 9 शाखा प्रबधंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 18.12.2024

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा निम्बासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 201/167 रकबा 7.7700 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 167/90 रकबा 17.0130 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 168/90 रकबा 9.7124 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 8 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 90 रकबा 15.0705 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 90 से विभाजित हुए है। पक्षकारान् मौके पर अपने अपने कब्जा काश्त में रहवासी ढाणियों सहित काबिज है। उक्त तरमीम का लट्ठा नक्शा में अंकन करते समय लिपिकीय त्रूटि से गलत तरमीम अंकित कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की

उपखण्ड अधिकारी

जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के पड़ौसी खातेदारान् का मौके पर स्थाई पक्के रहवासी मकान एवं कब्जा काश्त खसरा नम्बर 167/90 में आ रहा है, जिससे भविष्य में भारी विवाद होने की आशंका है। वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान लट्ठा नक्शा में तरमीम सही नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के पड़ौसी खातेदारान् का मौके पर स्थाई पक्के रहवासी मकान एवं कब्जा काश्त खसरा नम्बर 167/90 में आ रहा है, जिससे भविष्य में भारी विवाद होने की आशंका है। वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान लट्ठा नक्शा में तरमीम सही नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बासर, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 201/167 रकबा 7.7700 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 167/90, 168/90, 90 रकबा क्रमशः 17.0130, 9.7124, 15.0705 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner